कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत इकबाली जवाब में प्रतिवादी 3 ने आपसी सहमति से वाद में अंकितानुसार बंटवाड़ा होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। वादपत्र में पुश्तैनी भूमि का ही बंट चाहा गया है। वादग्रस्त खेतायों में से वादी ने अपने हिस्से कि भूमि का बंटवाड़ा चाहा है। अतः मौजा मांगलोद में खेत खसरा नम्बर 1292/827 रकबा 0.4856 हैक्टेयर तथा खेत खसरा नम्बर 284 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 285 रकबा 1.0846 हैक्टेयर तथा खेत खसरा नम्बर 833 रकबा 1.4407 हैक्टेयर में वादी कैलशराम को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार कृषक घोषित करते हुए वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।.

मौजा मांगलोद के खेत खसरा नम्बर 1292/827 रकबा 0.4856 हैक्टेयर तथा खेत खसरा नम्बर 284 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 285 रकबा 1.0846 हैक्टेयर तथा खेत खसरा नम्बर 833 रकबा 1.4407 हैक्टेयर में से **वादी कैलाशराम पुत्र सीताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद के खेत खसरा नम्बर 833 रकबा 1.4407 हैक्टेयर में से रकबा 0.4861 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा नजरी नक्शानुसार व खेत खसरा नम्बर 285 रकबा 1.0846 हैक्टेयर में से रकबा 0.5701 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाति** है। शेंष भूमियां प्रतिवादी सिताराम के कंब्जे काश्त खातेदारी में यथावत रहेगी। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

उक्त खसरान में से बैक के रहन खसरा का रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश पंवार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 31.7.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश पंवार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner